

कार्यालय जिला कलक्टर, अजमेर

क्रमांक :-जिपअ/पंचायत/वन अधिकार/2015/ 1672

दिनांक:- 13/05/2015

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित बुढ़ा पुष्कर सरोवर के फीडर व लेटरल्स में उपयोग में ली जाने वाली वन भूमि क्षेत्रफल 0.9915 हैक्टर, ग्राम-कानस व होकरा, तहसील-पुष्कर, जिला-अजमेर(राजस्थान) में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 तथा संशोधित अधिनियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देय है। किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है।



मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, अजमेर



जिला कलक्टर
अजमेर